ई0 पत्रावली संख्या–14018

सरजा-375/III(2)/2024–4(11)/10 TC-3

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार, I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2024

विषयः– सौंग बांध पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 के पत्र संख्या–110/प्रबन्ध निदेशक/यू0पी0डी0सी0सी, दिनांक 22.02.2024 एवं पत्र संख्या–111/प्रबन्ध निदेशक/यू0पी0डी0सी0सी, दिनांक 22.02.2024 के क्रम में अवगत कराना है कि सौंग बांध पेयजल परियोजना की टी0ए0सी0 एवं व्यय वित्त समिति, नियोजन विभाग द्वारा धनराशि रू0 252442.89 (बांध अवयव हेतु रू0 210152.63 लाख एवं पेयजल अवयव हेतु रू0 42290.26 लाख) औचित्यपूर्ण पायी गयी है। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.02.2024 को आहूत उच्चाधिकार प्राप्त समिति (H.P.C) की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के आलोक में व्यय वित्त समिति द्वारा बांध अवयव के अन्तर्गत अधिष्ठान मद में प्रावधानित 2 प्रतिशत धनराशि रू0 2890.00 लाख को कम करते हुए बांध अवयव की लागत रू0 210152.63 लाख पर अनुमोदन किया गया। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में सौंग बांध परियोजना के अन्तर्गत अवस्थापना एवं विकास कार्यो हेतु शासनादेश संख्या–78858/2022 दिनांक 25 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत रू0 12076.14 लाख, शासनादेश संख्या–127840/2023 दिनांक 06.06.2023 द्वारा रू0 55.27 लाख एवं शासनादेश संख्या–162674/2023 दिनांक 17.10.2023 द्वारा रू0 93.043 लाख अर्थात कुल रू0 12224.45 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक व्यय धनराशि रू0 3188.25 लाख की धनराशि को पृथक करते हुए बांध एवं 14.70 कि0मी0 लम्बी जल संवाहक प्रणाली (Water Conveyance System) के निर्माण हेतु लागत रू 206964.63 लाख पर अनुमोदन किया गया। पेयजल अवयव (150 MLD Water treatment plant and 85 KM. feeder main work) के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 422.90 करोड के सापेक्ष पूर्व में पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–109/उन्तीस(2)/20–2 (123पे0)/2020 दिनांक 29 जनवरी, 2021 द्वारा स्वीकृत रू0 58.00 लाख के सोपक्ष वर्तमान तक व्यय रू0 58.00 लाख की धनराशि को पृथक करते हुए परियोजना में पेयजल अवयव की अवशेष लागत रू0 42232.26 लाख है।

2– अतः उपरोक्तानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु अवस्थापना एवं विकास कार्यो हेतु रू0 12224.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 3188.25 लाख को पृथक किये जाने के साथ वर्तमान में अवशेष धनराशि रू0 9036.20 लाख को बांध अवयव में सम्मिलित करते हुए तथा पेयजल अवयव के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत रू0 58.00 लाख के सापेक्ष रू0 58.00 लाख के व्यय को पृथक करते हुए "पूंजीगत कार्यो/व्यय हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2023-24 SASCI) के अन्तर्गत **सौंग बांध पेयजल परियोजना की लागत रू0 249196.55 लाख (बांध एवं सम्बन्धित कार्यों हेतु रू0 206964.29 लाख एवं पेयजल अवयव हेतु रू0 42232.26 लाख) (रू0 दो हजार चार सौ इक्यानवे करोड़ छियानवे लाख पचपन हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–155/09(150)/2020/XXVII(1)/2024, दिनांक 06 मार्च, 2024 द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2023-24 SASCI के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु रू0 88.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृति करते हुए आई0डी0 सृजित किये जाने के क्रम में शासनादेश संख्या–198227/2024 दिनांक 13.02.2024 द्वारा वन विभाग(एन0पी0वी0 व सी0ए0 एवं कैट प्लान) हेतु रू0 8800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसे सौंग बांध पेयजल परियोजना की लागत रू0 24919६.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न तालिका–1 की संगत मदों से घटाया जायेगा। इस हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, सिंचाई विभाग का होगा।

(ii) सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए "पूंजीगत कार्यों/व्यय हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2023-24 SASCI) के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर राज्य सैक्टर से अवमुक्त धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

(iii) उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0 (सिंचाई विभाग का उपक्रम) के अवयव– 130.60 मी0 ऊँचे बांध निर्माण व 14.70 कि0मी0 लम्बी जल संवाहक प्रणाली के निर्माण किये जाने हेतु कार्य प्रारम्भ (Award of work) किये जाने से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां यथा पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित अनापत्ति तथा 127.6712 है0 वन भूमि हस्तांतरण के संबंध में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(iv) पूर्व में उक्त परियोजना हेतु वन विभाग की मांग के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि एवं वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि का मिलान करते हुए वन विभाग को भुगतान किये जाने से पूर्व सही होने की पुष्टि प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 द्वारा अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय।

(v) उक्त क्षेत्रों में भविष्य में बनने वाली पेयजल योजनाओं में भूगर्भ जल दोहन नहीं किया जायेगा तथा जल श्रोत के रूप में उक्त परियोजना के जल का ही प्रयोग किये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

(vi) उक्त धनराशि को व्यय करते हुए Scheme for Spacial Assistance to State for Capital Investment for 2023-24 SASCI की गाईडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग किया जाय।

(vii) उक्त परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र Item Rate के आधार पर तैयार किये जाय।

(viii) परियोजना की Third Party Quality Control हेतु केन्द्रीय मृदा एवं पदार्थ परीक्षण केन्द्र, जल शक्ति मंत्रालय का नामांकन किया जायेगा।

(ix) सौंग बांध पेयजल परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय को Review Consultant नामित किया जायेगा।

(x) सौंग बांध पेयजल परियोजना से विस्थापितों के पुन्वर्यवस्थापन हेतु जनपद देहरादून के गड्डूल ग्राम, सूर्यधार में चिह्नित की 15.17 है0 राजस्व भूमि सिंचाई विभाग को अतिशीघ्र हस्तांतरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून अतिशीघ्र कार्यवाही सम्पादित करें।

(xi) भूमि अधिग्रहण एवं R/R कार्य Circle Rate एवं वास्तविक माप के आधार पर किया जाए।

(xii) प्र0वि0 द्वारा कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एंव नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु प्र0वि0/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

(xiii) N.S.I मदों कार्य हेतु शासनोदश संख्या–50/xxvii(7)/2012, दि012/04/2012, 152/887/मार्गसि०/रा० यो० आ०/2021, दिनांक: 4.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-1 दिनांक 21 जुलाई, 2022 तथा 1389/687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(xiv) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(xv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

(xvi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(xvii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xviii) प्रस्तावित कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xix) प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0स0 14910/XXVII(7)/F-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xx) कार्य प्रारम्भ से पूर्व संरचनाओं के समस्त डिजाइन, ड्राईंग एवं डी0पी0आर0 को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से Vetting करा लिया जाये।

(xxi) वृहद जलाशय हेतु डैम की ऊँचाई अधिक होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(xxii) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति (Stage-II) अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(xxiii) पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र की जाय जिससे कार्य प्रारम्भ किये जाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(xxiv) डैम जलाशय के Outlet, WTP के Inlet एवं WTP से जल संस्थान के विभिन्न जलाशयों के Inlet पर Water Meter की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(xxv) भविष्य में सम्बन्धित विभाग जलापूर्ति हेतु उपभोक्ता संयोजन में Water Meter लगाये जाने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(xxvi) निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

(xxvii) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व प्रस्ताव में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कुर्सी क्षेत्रफल दरों, लोक निर्माण विभाग की प्रारम्भिक दरों, प्रतिशतता एवं एकमुश्त के आधार पर आंकलित की गयी अनुमानित लागत के विरूद्ध विस्तृत आगणन गठित करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त शासन को प्रेषित किये जाये।

(xxviii) आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाय।

(xxix) Dewatering पर होने वाले व्यय का भुगतान वास्तविक रूप से कार्य स्थल पर उपलब्ध Log-Book में प्रतिदिन Hourly Entry के आधार पर सक्षम अधिकारी के सत्यापन के पश्चात् सी0डब्ल्यू0सी0 की गाईड–लाईन के अनुसार मात्र Submeregence Structure की मदों की मात्रा के आधार पर ही निर्धारित सीमा के अन्दर ही किया जाय।

(xxx) योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness and Energy Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(xxxi) योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxxii) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप Consultant आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(xxxiii) योजना के विभिन्न परिसरों में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

(xxxiv) कार्य कराये जाने से पूर्व योजना के समस्त स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चरल एवं हाईड्रोलोजिल डिजाइन का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैट करा लिया जाय।

(xxxv) कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की आन्तरिक एवं पहुंच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय।

(xxxvi) योजना की पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन के प्रतिबन्धों/शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxxvii) परियोजना के किसी भी Head की प्राविधानित धनराशि को किसी अन्य Head में बिना शासन की अनुमति के व्यय कदापि न किया जाय, जिसका उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, सिंचाई विभाग का होगा।

(xxxviii) बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं शासनादेश संख्या–103/XXVIII(7)32/2007. TC-1, दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxxix) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।

(xl) उक्त धनराशि को दिनांक 31.03.2024 तक उपयोग करते हुए GFR-2017 के FORM-12-B प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xli) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xlii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, सिंचाई विभाग का होगा।

(xliii) प्राविधिक स्वीकृत हेतु शासनादेश सं0–14910/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xliv) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष नियमानुसार व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति SASCI के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रदान की जायेगी जिस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा यथासमय पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य– 800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53 वृहदनिर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/199840/2024, दिनांक: 16 मार्च, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव
16.3.2024

संख्या-375/II(2)/2024-04(11)/2010 T.C.3

ई0 पत्रावली संख्या–14018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
8. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
9. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
10. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11. जिलाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
13. वित्त अनुभाग–1 एवं 2 उत्तराखण्ड शासन।
14. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
15. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

संलग्नक :–1

सौंग बांध पेयजल परियोजना के अंतर्गत बांध एवं 14.70 कि0मी0 लम्बी जल संवाहक प्रणाली (Water Conveyance System) की लागत रू0 206964.63 लाख का विवरण निम्नवत् हैं :–

S. No.	Song Dam Drinking Water Project	
	Head (I-Work)	Amount (in Rs. Lakhs)
1-	Preliminary work (Surveying, Geo technical investigation Hydro metrology Data, Model Studies, Consultancy work Const, Material survey and Testing and Additional studies of fault displacement hazard assessment, 3D Geotechnical modelling & dynamic analysis of dam body)	4964.97-1518.46 = 3446.51
2-	Land (Acquisition of land-NPV & CA, Compensation for acquired land for pre phase infrastructure, Rehabilitation & Resettlement, Legal Charges Demarcation.)	18897.93-1439.42 = 17458.51
3-	Civil Works (River Diversion Pipe & Coffer Dam, Roller compacted concrete dam, Water Conductor System, Valve House, HM Work)	131253.03
4-	Building, (Residential Building, Non- Residential Building)	2993.73
5-	Plantation	176.11
6-	Miscellaneous (Capital Cost, Running & Maintenance of Services, Misc., Power,)	3184.13-135.10 = 3049.03
7-	Maintenance during Construction @ 1% of total cost of Civil works & buildings	1342.47
8-	Special T & P (DG Set-02, Bus-2, Ambulance-1, Car-17, Jeep-3, Water Sprinkler-1)	462.00
9-	Communication (Widening & Strengthening of Approach Road, Haul Road, Ring Road around the reservoir, Connecting road during the Construction, Bridges-03No.,)	13647.19- 95.27 =13551.92
10-	Environment and Ecology (Catchment Area teratment Plan, Biodiversity Conservation & management Plan, Public Health Delivery System, Const. of colony roads & Boundary wall, fishery management Plan, Dumping sites and muck disposal, Sokid waste management, maintenance of air water & noise level, Stabilization & Restoration quarry sites, Provision for fuel and energy conservation, disaster and Hazard management plan, Environment monitoring plan)	8740.93
11-	Losses on stock @ 0.25% of total cost of Civil works and buildings.	335.62
	Sub- Total I-Works	182809.86
12-	Establishment Cost (PIU)	84.14
13-	Tools And Plants	100.00
14-	Receipt And Recoveries	-136.00
	Sub-Total	48.14
	Total (Direct Cost)	182858.00
	Indirect Cost	
15-	Capitalisation of Abatement of Land Revenue	15.73
16-	Audit and Account Charges	465.00
	Total (Indirect Cost)	480.73
	Total Cost (Direct & Indirect Cost)	183338.73
17-	18% GST on Civil WorkS	23625.56
	Total Cost of Project (Works of Irrigation dept.)	206964.29
	Total Cost with GST @18% on C-works (Rs. Lacs)	206964.29

(नोटः– पूर्व में सौंग बांध परियोजना के अन्तर्गत अवस्थापना एवं विकास कार्यो हेतु विभिन्न शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 12224.45 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक बांध अवयव की संगत मदों में व्यय धनराशि रू0 3188.00 लाख को उपरोक्त तालिका में घटाया गया है।)

संलग्नक:–2

सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल अवयव (150 MLD Water treatment plant and 85 KM. feeder main work) की लागत रू0 42232.26 लाख का मदवार (HEAD) विवरण निम्नवत् है:–

(धनराशि रू0 में)

Sl. No.	Description of work (Head)	DSR	UKPWD	SOR(UJN)/ UPCL	NSI	TOTAL
01	02	03	04	05	06	07
A	**150 MLD WTP**					
1	Total cost of Civil works	762,643,858.25	1,042,003.71	-	-	763,685,861.95
2	Mechnical work				540,198,102.13	540,198,102.13
3	Electrical work, SCADA and instrumentation work			11,818,048.00	213,055,537.78	224,873,585.78
4	Land acquisition and forest afforestaion charges				13,964,601.00	13,964,601.00
B	Pipe network	484,301,261.19		842,249,839.07	80,970,218.73	1,407,521,318.99
Sub total (A)	**1,246,945,119.44**	**1,042,003.71**	**854,067,887.07**	**848,188,459.63**	**2,950,243,469.85**	
	Add 18% on UKPJN, UKPWD and Quotation/LS items		187,560.67	153,732,219.67	152,673,922.73	306,593,703.07
	Sub total(B)	**1,246,945,119.44**	**1,229,564.37**	**1,007,800,106.74**	**1,000,862,382.37**	**3,256,837,172.92**
	Add contingency @3% on DSR and @4% on UKPWD/UJN/UPCL	37,408,353.58	49,182.57	40,312,004.27	-	77,769,540.43
	Sub total(C)	**1,284,353,473.02**	**1,278,746.95**	**1,048,112,111.01**	**1,000,862,382.37**	**3,334,606,713.35**
	trial and testing @2%	25,687,069.46	25,574.94	20,962,242.22	20,017,247.65	66,692,134.27
	Grand total	**1,310,040,542.48**	**1,304,321.89**	**1,069,074,353.23**	**1,020,879,630.02**	**3,401,298,847.61**
C	**Operation & Maintenance for 5 years**				458,947,021.83	458,947,021.83
	Add @12.5% centage on Sub Total (A) of GAC	**155,868,139.93**	**130,250.46**	**106,758,485.88**	**106,023,557.45**	**368,780,433.73**
	पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या– 109/उन्तीस(2)/20–2(123पे0)/2020 दिनांक 29 जनवरी, 2021 द्वारा प्रारम्भिक कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि।					-5800000.00
	GRAND TOTAL	**1,465,908,682.41**	**1,434,572.35**	**1,175,832,839.11**	**1,585,850,209.30**	**4223226303.18**
	Say In Lakhs	**14659.08**	**14.34**	**11758.32**	**15858.50**	**42232.26**

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।